भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 4246
उत्तर देने की तारीख : 18.07.2019

हज कोटे के लिए मापदंड

4246. श्री राजमोहन उन्नीथनः

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वर्तमान में प्रत्येक राज्य को प्रदान किया गया हज कोटा उस राज्य की मुसलमान जनसंख्या के आधार पर तय होता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का इस मापदंड को संशोधित करने का विचार है ताकि प्रत्येक राज्य को प्रदान किया गया कोटा आवेदकों की संख्या के आधार पर हो और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने हज यात्रियों के लिए एक अच्छे हवाई–यात्रा पैकेज प्राप्त करने के लिए अन्य विमानन कम्पनियों से वैश्विक निविदा आमंत्रित की है अथवा करने का विचार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री मुख्तार अब्बास नकवी)

(क): भारतीय हज समिति को आबंटित कोटा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 2011 जनगणना के आंकड़ों पर आधारित उनकी मुस्लिम आबादी के साथ–साथ आवेदनों की संख्या के आधार पर वितरित किया जाता है।

(ख): जी, नहीं। हज 2018–22 के लिए भारतीय हज समिति के हज यात्रियों हेतु नई हज नीति के अनुसार, राज्यों द्वारा अपना कोटा कम प्रयुक्त किए जाने के कारण उत्पन्न हुई अधिशेष सीटें मेहरम को 500 सीटें, विशेष उपाय के रूप में जम्मू–कश्मीर राज्य को 2000 सीटें, 500 अथवा कम हज आवेदन फार्म प्राप्त करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और मेहरम के बिना हज को जा रही महिलाओं को पूर्ण कोटा प्रदान करते हुए उपयोग की जाती हैं। इसके बाद भी शेष रहे कोटे को प्राप्त आवेदनों की संख्या के अनुपात में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आगे आबंटित कर दिया जाता है। इस वर्ष 18 राज्यों में 100% आवेदक हज के लिए जा रहे हैं।

(ग): भारतीय हज समिति द्वारा चुने गए हज यात्रियों के लिए हवाई यात्रा प्रबंध करने की जिम्मेदारी नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) की है। भारत और सऊदी अरब के बीच हुए वार्षिक द्विपक्षीय करार में यह व्यवस्था है कि सऊदी हवाई परिवहन कम्पनियां हाजियों को लाने–लेजाने के लिए बिना किसी अपवाद के भारतीय राष्ट्रीय वाहकों के साथ समान रूप से शेयर करेंगी। इसके अतिरिक्त, सऊदी अरब के नागर विमानन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार, हाजियों को लाने–लेजाने के लिए किसी तीसरे पक्ष के साथ किसी संविदा की अनुमति नहीं है। तद्नुसार, भारत और सऊदी अरब की विभिन्न एयरलाइनें हज यात्रियों की हवाई यात्रा के लिए बोली प्रक्रिया में भाग लेती हैं। हज 2019 के लिए तीन एयरलाइनें नामतः एयर इंडिया, स्पाइस जेट और सऊदी एयरलाइन 21 आरोहण स्थलों से हज यात्रियों को ले जा रही हैं।

******